सुनील आदि विरूद्ध राजबहोरन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2118–दो/14 जिला – सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-7-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं समयसीमा के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 5–9–13 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 16–5–14 को प्रस्तुत की गई है । विलंब के संबंध में अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में यह आधार लिया गया है उनके अधिवक्ता ने उन्हें अपर आयुक्त के आदेश की जानकारी नही दी । आवेदका ने जब न्यायालय में जाकर पता लगाया तब उन्हें 11–2–14 को आदेश की जानकारी हुई किंतु इस संबंध में आवेदक द्वारा संबंधित अधिवक्ता का कोई शपथपत्र आदि पेश नहीं किया गया । विलंब के प्रकरणों में दिन प्रति दिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है जो इस प्रकरण में नहीं है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर	

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, (म.प्र.)

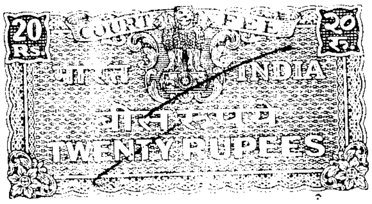

आवेदक गण की ओर से श्री बृजेन्द्र सिंह एड० द्वारा पेश / 16.5.14

257
16.5.14

01- सुनील सिंह तनय चन्द्रमोहन सिंह, बरगाही,

02- सुशील सिंह तनय चन्द्रमोहन सिंह बरगाही,

दोनों निवासी ग्राम ... कोठार, थाना-रामपुर नैकिन, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी म०प्र० ------- निगरानीकर्तागण

बनाम

01- राजबहोरन सोनी तनय रामाधार सोनी,

02- राजकुमार सोनी तनय रामाधार सोनी,

03- ... कुमार सोनी तनय रामाधार सोनी,

तीनों निवासी ग्राम वही, थाना तहसील- रामपुर नैकिन, जिला सीधी म०प्र० ---------गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग रीवा म०प्र० प्रकरण क्र-49/अपील/2012-13, आदेश दिनांक- 05.09.2013.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता सन 1959 ईस्वी.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है--:

(01)- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

(02)- यह कि विद्वान न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय द्वारा

---2---